मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20.02.2017

राज्य सेवा परीक्षा–2015

(गृह विभाग, गृह(पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के विज्ञापित पदों की आयु सीमा संबंधी जानकारी)

आयोग के विज्ञापन कमांक 01/परीक्षा/2015 दिनांक 29.10.2015 एवं समय–समय पर जारी शुद्धिपत्रादि में विज्ञापित राज्य सेवा परीक्षा–2015 अंतर्गत विज्ञापित पदों की आयु सीमा एवं आयु छूटों आदि के संबंध में विज्ञापन में प्रावधान उल्लेखित है।

2/ विज्ञापित किये गये पदों में गृह विभाग, गृह(पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पद भी विज्ञापित किये गये है। इन विभागों के विज्ञापित पदों की आयु सीमा का विवरण निम्नांकित है –

स. क.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शासकीय सेवक की अधिकतम आयु सीमा
1	उप पुलिस अधीक्षक	20 वर्ष	25 वर्ष	33 वर्ष
2	जिला आबकारी अधिकारी	21 वर्ष	25 वर्ष	35 वर्ष
3	अधीक्षक जिला जेल	21 वर्ष	30 वर्ष	38 वर्ष
4	आबकारी उप निरीक्षक	20 वर्ष	30 वर्ष	38 वर्ष
5	जिला सेनानी होमगार्ड	21 वर्ष	30 वर्ष	38 वर्ष

3/ उक्त पदों पर म0प्र0 की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष एवं विधवा परित्यक्ता को 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्रावधानित होगीं।

4/उक्त पदों में विज्ञापन में वर्णित परिशिष्ट–एक में वर्णित बिन्दु (दो) की कंडिका (तीन), (चार), (पांच), टिप्पणी यथा लागू होंगे।

5/ सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6/ शेष पदों की आयु सीमा विज्ञापन के परिशिष्ट–एक अनुसार निहित है।

7/ शेष शर्ते विज्ञापन, शुद्धिपत्रादित अनुरुप यथावत रहेंगी।

उप परीक्षा नियंत्रक (चयन)
म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर